तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **गोपाल कंसारा बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर)** सू.अ.अ. अपील संख्या 350/2022	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14-11-2022	अपीलार्थी गोपाल कंसारा पुत्र स्व. उदयलाल निवासी पी.अे. देवगढ मदारिया, जिला राजसमंद (राज.) ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 21.08..2022 में (1) नियम/आदेश/परिपत्र या जिस रूप में सूचना संधारित है इसकी प्रतियां जिसके अन्तर्गत राजस्थान राज्य भू–राजस्व नियमों अनुसार पीढी दर पीढी के अनुसार उत्तराधिकार में मिली पैतृक सम्पति (कृषि योग्य भूमि) को एक पिता अपने पुत्रों की बिना अनुमति से अन्य पुत्र के नाम दान करवाने का प्रावधान है व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए ,लोक सूचना अधिकारी (जिला कलक्टर जोधपुर कार्यालय) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 1880 दिनांक 27.09.2022 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्राथ्रना पत्र में वर्णित सूचना प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा कार्यालय हाजा से संबंधित होने से धारा 5(4) के तहत इस कार्यालय के पत्रांक 1648 दिनांक 27.09.2022 द्वारा प्रेषित कर सात दिवस में भिजवाने हेतु लिखा गया था, परन्तु पभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कार्यालय हाजा से अभी तक अपेक्षित होने से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराया जाना सभव नहीं है। रिपोर्ट में धारा 5(5) के तहत प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग कार्यालय हाजा को लोक सूचना अधिकारी मानते हुए उन्हें सूचना देने हेतु निर्देश देने की प्रार्थना की। चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा द्वारा प्रेषित नहीं की गई है अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभ्ज्ञाग कार्यालय हाजा (लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	